HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Civil Miscellaneous Appeal No. 3918/2014

1. Smt. Sunita Devi Wife of Late Shri Jagmal @ Jummal, Aged About 23 Years
2. Sachin Son of Late Shri Jagmal @ Jummal, Aged About 02 Years
3. Hajari Banjara Son of Shri Harlal, Aged About 56 Years
4. Manju Wife of Shri Hajari Banjara, Aged About 51 Years
5. Geeta Daughter of Shri Hajari Banjara, Aged 18 Years
6. Pooja Daughter of Shri Hajari Banjara, Aged 14 Years
7. Shravan Son of Shri Hajari Banjara, Aged 11 Years

Claimant Appellant No. 2 Is Being Minor Through Her Natural Guardian And Mother Smt. Sunita Devi And Claimant Appellant No. 6 And 7 Are Being Minor Through Their Natural Guardian And Father Hajari Banjara
All Resident of Village Bhojpuri Tehsil Thanagaji District Alwar (Rajasthan)

----Appellants/Claimants

Versus

1. Ashok Kumar Son of Shri Ramlal, Resident of Village Chikani Tehsil And District Alwar - Driver Of The Vehicle Motorcycle No. R.J.-02 S.Y-5159
2. Bhagiram Son of Shri Pooran Singh, Resident of Village Bhairawas, Police Station Narayanpur District Alwar - Owner Of The Vehicle Motorcycle No. R.J.-02 S.Y-5159
3. National Insurance Company Limited, Divisional Office, 61 Arodrum Road, Alwar Having Its Regional Office At Nehru Place, Tonk Road, Jaipur Through Its Regional Manager

----Non-Claimants/Respondents

For Appellant(s) : Mr. Girish Khandelwal, Adv.
For Respondent(s) : Mr. Vinod Tyagi, Adv.

HON'BLE MR. JUSTICE ASHUTOSH KUMAR

Judgment

07/05/2026

1. अपीलार्थीगण की ओर से प्रस्तुत अपील धारा–173 मोटर वाहन अधिनियम–1988 के तहत **न्यायालय मोटर वाहन दुर्घटना दावा अधिकरण, अलवर** (जिसे आगे 'विद्वान अधिकरण' के नाम से संबोधित किया जाएगा) द्वारा

क्लेम याचिका संख्या–258/2013, श्रीमती सुनीता देवी व अन्य बनाम अशोक कुमार व अन्य में पारित **निर्णय दिनांक 27.08.2014** (जिसे आगे 'आक्षेपित निर्णय' के नाम से संबोधित किया जाएगा) के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है।

2. अपीलार्थीगण द्वारा विद्वान अधिकरण के समक्ष, मोटर वाहन दुर्घटना में **जगमाल उर्फ जुगमाल** की मृत्यु हो जाने के फलस्वरूप **कुल 1,36,45,000/– रुपये** क्लेम प्राप्त करने हेतु क्लेम याचिका प्रस्तुत की गयी। विद्वान अधिकरण द्वारा उक्त क्लेम याचिका का निस्तारण करते हुए याचीगण को कुल **11,92,537/– रुपये** की क्षतिपूर्ति राशि **मय ब्याज 7.5 प्रतिशत** सालाना की दर से दिलवाई गयी है। विद्वान अधिकरण के उक्त आक्षेपित निर्णय से व्यथित होकर हस्तगत अपील, अपीलार्थीगण द्वारा क्षतिपूर्ति राशि में बढ़ोतरी किये जाने हेतु प्रस्तुत की गयी है।

3. दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थीगण का तर्क रहा है कि विद्वान अधिकरण द्वारा मृतक की आय 4,500/– रुपये प्रतिमाह निर्धारित की जाकर त्रुटि कारित की गयी है, जबकि वक्त घटना मृतक पशुपालन व दुध विक्रय का कार्य कर प्रतिमाह 15,000/– रुपये की आय अर्जित करता था। विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थीगण का यह भी तर्क रहा है कि विद्वान अधिकरण द्वारा मृतक की निर्धारित आय पर कोई भविष्य वृद्धि नहीं कर त्रुटि कारित की गयी है तथा कंसोर्टियम की मद में व अन्य मदों में भी अत्यंत कम राशि दिलवाई गयी है, जिनमें बढ़ोतरी की जावे। अतः अपीलार्थीगण की ओर से प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाकर क्षतिपूर्ति राशि में बढ़ोतरी किये जाने की प्रार्थना की गयी।

4. इसके विपरीत विद्वान अधिवक्ता प्रत्यर्थी बीमा कम्पनी की ओर से अपीलार्थीगण के उपरोक्त तर्कों का विरोध करते हुए विद्वान अधिकरण द्वारा पारित किये गये निर्णय की पुष्टि किये जाने तथा अपीलार्थीगण की ओर से संस्थित की गयी अपील को निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया।

5. दोनों पक्षों को सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

6. पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि मामले की घटना दिनांक 20.05.2013 की बताई गयी है तथा वक्त घटना मृतक को पशुपालन व दुध

विक्रय का कार्य कर प्रतिमाह 15,000/– रूपये की आय अर्जित करना अवश्य बताया गया है, किन्तु मृतक की आय के संबंध में अपीलार्थीगण की ओर से विद्वान अधिकरण के समक्ष कोई ठोस साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गयी है। विद्वान अधिकरण द्वारा मृतक के कार्य की प्रकृति को दृष्टिगत रखते हुए उसकी आय 4,500/– रुपये प्रतिमाह निर्धारित की गयी है, जबकि मृतक की आय तत्समय प्रचलित न्यूनतम मजदूरी के आधार पर निर्धारित किया जाना आवश्यक था। घटना वर्ष 2013 की बताई गयी है। ऐसी स्थिति में हम, घटना की तिथि तथा मृतक के कार्य की प्रकृति को दृष्टिगत रखते हुए वक्त घटना मृतक को अकुशल श्रमिक की श्रेणी में रखा जाकर तत्समय प्रचलित न्यूनतम मजदूरी 166/– रुपये के आधार पर उसकी मासिक आय 166 x 30 = 4,980/– रुपये निर्धारित किया जाना न्यायोचित समझते हैं। वक्त घटना मृतक की आयु 26 वर्ष निर्धारित की गयी है। चूंकि मृतक 26 वर्ष आयु का स्वनियोजित व्यवसायी था। ऐसी स्थिति में **नेशनल इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड बनाम प्रणय सेठी व अन्य** रिपोर्टेड इन **(2017) 16 एस.सी.सी. 680** के मामले में प्रतिपादित सिद्धान्त के अनुसार हम, मृतक की आयु को दृष्टिगत रखते हुए मृतक की निर्धारित मासिक आय 4,980/– रुपये पर भविष्य की प्रत्याशा की मद में 40 प्रतिशत अर्थात् 1,992/– रुपये की बढ़ोतरी की जाकर मृतक की कुल मासिक आय 6,972/– रुपये निर्धारित किया जाना न्यायोचित समझते हैं, जो क्षतिपूर्ति के निर्धारण का आधार रहेगी।

7. वक्त घटना मृतक के ऊपर कुल 07 आश्रित बताए गए हैं, जिनमें अपीलार्थी संख्या–1 मृतक की पत्नी, अपीलार्थी संख्या–2 मृतक का पुत्र, अपीलार्थी संख्या–3 व 4 तथा अपीलार्थी संख्या–5 लगायत 7 मृतक के भाई–बहिन है। विद्वान अधिकरण द्वारा मृतक की पत्नी, पुत्र तथा माता–पिता को वक्त घटना मृतक पर आश्रित होना मानते हुए मृतक के व्यक्तिगत खर्च की कटौती के मद में 1/4 भाग की कटौती की गयी है, जो सही है। तद्नुसार मृतक की निर्धारित मासिक आय 6,972/– रुपये का 1/4 भाग 1,743/– रुपये होता है, जिसे निर्धारित मासिक आय में से घटाने के उपरांत आश्रित आय की शेष राशि 5,229/– रुपये होती है। वक्त घटना मृतक की

आयु 26 वर्ष निर्धारित की गई है। ऐसी स्थिति में **सरला वर्मा व अन्य बनाम देहली ट्रासंपोर्ट कॉर्पोरेशन व अन्य** रिपोर्टेड इन **(2009) 6 एस.सी.सी. 121** तथा **प्रणय सेठी (उपरोक्त)** के मामले में प्रतिपादित सिद्धान्त के आधार पर मृतक की आयु को दृष्टिगत रखते हुए 17 का गुणक लगाया जाना अपेक्षित है। तद्नुसार मृतक की निर्धारित मासिक आय 5,229/– रुपये के आधार पर अपीलार्थीगण को होने वाली आश्रित आय की **कुल क्षति 5,229 x 12 x 17 = 10,66,716/– रुपये** होती है, जो अपीलार्थीगण प्राप्त करने के अधिकारी हैं।

8. विद्वान अधिकरण द्वारा मृतक की पत्नी तथा पुत्र को कंसोर्टियम की मद में एकमुश्त 2,00,000/– रुपये की राशि दिलवाई गयी है, जो कम है तथा अन्य अपीलार्थीगण को कंसोर्टियम की मद में कोई राशि नहीं दिलवाई गयी है। माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत **प्रणय सेठी (उपरोक्त)** व **यूनाईटेड इण्डिया इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड बनाम सतिन्दर कौर उर्फ सतविन्दर कौर व अन्य** रिपोर्टेड इन **(2021) 11 एससीसी 780** व अन्य न्यायिक दृष्टांत **मेगमा जनरल इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड बनाम नानू राम उर्फ चुहरू राम व अन्य** रिपोर्टेड इन **(2018) 18 एससीसी 130** के मामलों में प्रतिपादित सिद्धान्त के अनुसार प्रत्येक आश्रित को 40,000/– रुपये कंसोर्टियम की मद में दिलवाये जाने का सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है।

9. ऐसी स्थिति हम, माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत **प्रणय सेठी (उपरोक्त), सतिन्दर कौर उर्फ सतविन्दर कौर (उपरोक्त)** व **नानू राम उर्फ चुहरू राम (उपरोक्त)** के मामलों में प्रतिपादित सिद्धान्त के अनुसार मृतक की पत्नी अपीलार्थी संख्या–1 को ''स्पाउस कंसोर्टियम'' की मद में 40,000/– रुपये, मृतक के पुत्र अपीलार्थी संख्या–2 को ''पैरेण्टल कंसोर्टियम'' की मद में 40,000/– रुपये, मृतक के पिता व माता अपीलार्थी संख्या–3 व 4 तथा मृतक के भाई–बहिन अपीलार्थी संख्या–5 लगायत 7 प्रत्येक को ''फिलियल कंसोर्टियम'' की मद में 40,000/– रुपये (कुल 2,80,000/– रुपये) की राशि दिलवाया जाना उचित समझते हैं।

10. विद्वान अधिकरण द्वारा अपीलार्थीगण को अंतिम संस्कार की मद में 25,000/– रुपये की राशि दिलवाई गयी है, जो अधिक है तथा सम्पदा की

हानि के मद में विद्वान अधिकरण द्वारा कोई राशि अपीलार्थीगण को नहीं दिलवाई गयी है। अतः अंतिम संस्कार की मद में तथा सम्पदा की हानि के मद में हम, **प्रणय सेठी (उपरोक्त)** के मामले में प्रतिपादित सिद्धान्त के अनुसार 15,000—15,000/— रुपये (कुल 30,000/— रुपये) की राशि अपीलार्थीगण को दिलवाया जाना उचित समझते हैं।

11. विद्वान अधिकरण द्वारा मृतक जगमाल के दुर्घटना के पश्चात् 40 दिवस तक अस्पताल में भर्ती रहने की मद में 20,000/— रुपये तथा दौराने इलाज दवा आदि पर खर्च राशि के मद में 2,59,037/— रुपये की राशि पृथक से अपीलार्थीगण को दिलवाई गयी है, इसमें हम कोई हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं समझते हैं।

12. उक्तानुसार अपीलार्थीगण/क्लेमेंट्स निम्न प्रकार से क्षतिपूर्ति राशि प्राप्त करने के अधिकारी हैं :—

क्रम सं.	**शीर्ष/मद**	**इस निर्णय के तहत निर्धारित की गयी राशि (राशि रूपये में)**
1.	आश्रित आय की क्षति के मद में	10,66,716/—
2.	कंसोर्टियम के मद में	कुल 2,80,000/—
3.	अंतिम संस्कार के मद में	15,000/—
4.	सम्पदा की हानि के मद में	15,000/—
5.	40 दिवस अस्पताल में भर्ती रहने की मद में	20,000/—
6.	इलाज के दौरान व्यय राशि के मद में	2,59,037/—
इस न्यायालय द्वारा निर्धारित की गई कुल क्षतिपूर्ति राशि		**16,55,753/—**
विद्वान अधिकरण द्वारा दिलवाई गई क्षतिपूर्ति राशि (—)		11,92,537/—
बढ़ोतरी पश्चात क्षतिपूर्ति राशि में अंतर		**4,63,216/—**

13. तदनुसार अपीलार्थीगण की ओर से प्रस्तुत यह अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर विद्वान अधिकरण द्वारा पारित पंचाट, जिसके द्वारा अपीलार्थीगण/क्लेमेंट्स को **11,92,537/— रूपये** दिलवाये जाने का आदेश पारित किया गया है, के स्थान पर **16,55,753/— रूपये** का पंचाट पारित किया जाता है। अपीलार्थीगण को देय क्षतिपूर्ति राशि पर नियमानुसार आयकर कटौती की जावेगी। अपीलार्थीगण द्वारा पूर्व में प्राप्त की गयी राशि को पंचाट राशि में से समायोजित किया जाकर शेष राशि अपीलार्थीगण प्राप्त करने के अधिकारी पाये जाते हैं।

14. इस निर्णय द्वारा बढ़ाई गई क्षतिपूर्ति राशि पर याचिका दायर करने की तिथि से अपीलार्थीगण, 08 प्रतिशत वार्षिक ब्याज प्राप्त करने के अधिकारी हैं।

15. तदनुसार यह अपील निस्तारित की जाती है।

16. सभी लम्बित प्रार्थना–पत्रों को भी उपरोक्तानुसार निस्तारित किया जाता है।

(ASHUTOSH KUMAR),J

LOKESH RAJ /7